प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 21.03.24

थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद।

दिनांक 21.03.2024 को थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त सलमान उर्फ लखन पुत्र इस्लामुद्दीन हाल पता अम्बरीश का मकान नियर भूस की टाल अर्थला थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम महसपुर जनपद बुलन्दशहर उम्र-22 वर्ष को पानी की टंकी के पास झण्डापुर मैन रोड़ के किनार से एक अवैध तमंचा व 01 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सलमान उर्फ लखन उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

सलमान उर्फ लखन पुत्र इस्लामुद्दीन हाल पता अम्वरीश का मकान नियर भूस की टाल अर्थला थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम महसपुर जनपद बुलन्दशहर उम्र-22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा व 01 जिंदा कारतूस।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त सलमान उपरोक्त के विरूद्ध थाना लिंकरोड पर लूट/अवैध शस्त्र के 02 अभियोग, थाना विजयनगर पर चोरी/अवैध शस्त्र के 02 अभियोग तथा थाना साहिबाबाद पर चोरी का माल बरामदगी/अवैध शस्त्र के 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 20.03.2024 को थाना इंदिरापुरम पर वादी आनन्द कुमार निवासी न्यायखन्ड द्वारा 01 मोटर साइकिल चोरी होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत कराया था। उक्त घटना क्रम का तत्काल संज्ञान लेते हुए दिनांक 20.03.2024 को ही थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 02 अभियुक्त 1. हरप्रीत सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह निवासी 165/1 गोल्ड स्टार बिल्डिंग वसुंधरा थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद । 2. सतीश पुत्र चेतराम अनुरागी निवासी गढी मल्हैरा कस्बा छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0 हाल पता बी 190 न्यू पंचवटी कालोनी भाटिया मोड़ गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को गौर ग्रीन चौराहे के पास इंदिरापुरम से चोरी की हुई मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उक्त मोटर साइकिल को हमारे द्वारा कुछ दिन पहले ही चोरी कि गयी थी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता</u>

1. हरप्रीत सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह निवासी 165/1 गोल्ड स्टार बिल्डिंग वसुंधरा थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।
2. सतीश पुत्र चेतराम अनुरागी निवासी गढी मल्हैरा कस्बा छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0 **हाल पता** बी 190 न्यू पंचवटी कालोनी भाटिया मोड़ गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- चोरी की हुई 01 मोटर साइकिल।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम

थाना नंदग्राम पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्ज़े से 01 अवैध पौनिया , 01 एक अवैध तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

दिनांक 21-03-2024 को मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध वाहन / व्यक्ति चेकिंग के दौरान थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त को यूनिनव यूटोपिया सोसाइटी स्विमिंग पूल के पास से गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्ज़े से 01 अवैध पौनिया व, 01 अवैध तमन्चा व एक 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है , अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार किये गये अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा स्विमिंग यूनिनव यूटोपिया सोसाईटी के पीछे स्थित है जिसकी सुरक्षा के लिए मेरे स्वर्गीय चाचा जी मुझे यह अवैध तंमचा, कारतूस व पोनिया दिया था।

अभियुक्त का नाम व पता--

(1) नितिन पुत्र पवन कुमार नि0 म0नं0 50 ग्राम सिकरोड थाना नंदग्राम कमिश्नरेट गाज़ियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—

1- अभि0 नितिन के विरुद्ध थाना कविनगर कमि0 गाज़ियाबाद पर 01 अभियोग आर्म्स एक्ट व मारपीट व थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग आर्म्स एक्ट का पंजीकृत है । अभि0 पर कुल 02 अभियोग पंजीकृत है ।

बरामदगी का विवरण--

(1) 01 एक अवैध पौनिया

(2) 01 एक अवैध तमन्चा

(3) 01 जिन्दा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।

थाना भोजपुर साइबर सैल द्वारा फर्ज़ी इन्स्टाग्राम आई डी बनाकर महिला के फोटो का गलत इस्तेमाल कर वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 15.02.2024 को थाना भोजपुर साइबर सैल पर आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी इन्स्टाग्राम आई डी से आवेदिका के फोटो चोरी कर एक नई फर्ज़ी इन्स्टाग्राम आईडी आवेदिका के नाम से ही बनाकर आवेदिका के फोटो का गलत इस्तेमाल कर उसके सभी सम्बन्धियो को गलत मैसेज कर रहा है। थाना भोजपुर साइबर सैल द्वारा आवेदिका द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर तत्काल सम्बन्धित कम्पनियो से पत्राचार कर फर्ज़ी इन्स्टाग्राम आईडी का डाटा मंगवाया गया । प्राप्त डाटा तथा जाँच के उपरान्त पाया गया कि आवेदिका की उक्त फर्ज़ी आईडी अभियुक्त आमिर राणा पुत्र

गुलफाम निवासी ग्राम कोटला थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ द्वारा बनाकर आवेदिका के आपत्तिजनक फोटो वायरल किये गये है जाँचोपरान्त तत्काल उक्त सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनाँक 21.03.2024 अभियुक्त आमिर राणा पुत्र गुलफाम निवासी ग्राम कोटला थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ उम्र 24 वर्ष को हिरासत में लेकर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त–

आमिर राणा पुत्र गुलफाम निवासी ग्राम कोटला थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ उम्र 24 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।